



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112022-240410
CG-DL-E-18112022-240410

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5162]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2022/कार्तिक 27, 1944

No. 5162]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2022/KARTIKA 27, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2022

का.आ. 5390(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इससे पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधिन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3430 (अ) दिनांक 7 सितंबर 2019 जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 23 सितंबर 2019 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में तेल पदार्थ परिवहन के लिए “Details of 6"/8"/10" ø Effluent Pipelines from Padra to Nala GGS in Area-IV” ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, द्वारा गुजरात राज्य में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 21 जनवरी 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है :

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

क्रम सं.	गाव का नाम	सर्वे / ब्लोक नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर	एकड	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
“Details of 6"/8"/10" ø Effluent Pipelines from Padra to Nala GGS in Area-IV”					
तालुका : पादरा		जिला : वडोदरा	राज्य : गुजरात		
1	विश्रामपुरा	34 / 1 / 2	00	04	05
2	लोला	220	00	01	35
3	सांढा	141	00	06	00
4	गवासद	157	00	13	05
		128	00	03	30
		141	00	09	90
		130	00	02	70
		140	00	12	15
तालुका : जंबुसर		जिला : भरुच	राज्य : गुजरात		
5	डाभा	1049	00	02	55
		823	00	16	05
		412	00	06	00
		409	00	17	00
6	उमरा	405	00	05	40
7	जंबुसर	834 / 3	00	14	13
8	वासेटा	298 / ब	00	07	20
		288 / अ	00	08	40
		85 / अ, 85 / ब	00	24	30
9	टंकारी बंदर	1957	00	00	81
		2095	00	05	93
		2096	00	05	93
10	नाडा	1404 / 1	00	03	75
		1228	00	02	25
		1469	00	05	00
		1220	00	13	35
		1640	00	06	30
		1108	00	12	00

[फा सं. इएक्सपीएल-11032(11)/74/2022-इएक्सपीएल-1-पीएनजी (इ-44788)]

आर. के. कुरील, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th November, 2022

S.O. 5390(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No. 3430 (E) Dated 7th September 2019, issued under sub-section(1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazzate of India dated 23rd September 2019, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Gujarat for transportation of Oil from “Details of 6"/8"/10" ø Effluent Pipelines from Padra to Nala GGS in Area-IV” should be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazzate notification were made available to the public up to dt.21st January 2020.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Ltd free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Village	Survey / Block No.	Area		
			Hector	Acre	Sq. M.
1	2	3	4	5	6
“Details of 6"/8"/10" ø Effluent Pipelines from Padra to Nala GGS in Area-IV”					
TALUKA : PADRA			DIST : VADODARA		
			STATE : GUJARAT		
1	Vishrampur	34/1/2	00	04	05
2	Lola	220	00	01	35
3	Sandha	141	00	06	00
4	Gavasad	157	00	13	05
		128	00	03	30
		141	00	09	90
		130	00	02	70
		140	00	12	15
TALUKA : JAMBUSAR			DIST : BHARUCH		
			STATE : GUJARAT		
5	Dabha	1049	00	02	55
		823	00	16	05
		412	00	06	00
		409	00	17	00

Sr. No.	Name of Village	Survey / Block No.	Area		
			Hector	Acre	Sq. M.
1	2	3	4	5	6
6	Umara	405	00	05	40
7	Jambusar	834/3	00	14	13
8	Vanseta	298/B	00	07	20
		288/A	00	08	40
		85/A, 85/B	00	24	30
9	Tankari Bandar	1957	00	00	81
		2095	00	05	93
		2096	00	05	93
10	Nada	1404/1	00	03	75
		1228	00	02	25
		1469	00	05	00
		1220	00	13	35
		1640	00	06	30
		1108	00	12	00

[F. No. Expl-11032(11)/74/2022-EXPL-I-PNG (E- 44788)]

R. K. KUREEL, Director